रामलाल बनाम राज॰सरकार

प्र॰सं॰ 165/2025

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
5/12/2025	प्रार्थी द्वारा प्रा॰पत्र अंतर्गत धारा 136 राज॰ लै॰रे॰ एक्ट के पेश किया। प्रार्थी प्रा॰पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर वास्ते अग्रिम सुनवाई दिनांक 8/12/2025 को पेश हो। [signature] उपखण्ड अधिकारी बांदीकुई	
8/12/2025	पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी उप॰। पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थना पत्र के साथ तहसीलदार (भू॰अ॰) बांदीकुई के पत्र क्रमांक/भू॰अ॰/2025/1020। दिनांक 24/11/2025 की रिपोर्ट प्राप्त होकर संलग्न है। प्रार्थनापत्र पर प्रार्थी के बयान दर्ज किये गये। प्रार्थनापत्र पर प्रार्थी की बहस सुनी। बहस पर मनन किया। अतः प्रार्थी बहस पर मनन करने एवं पत्रावली के अवलोकन के आधार पर प्रार्थी प्रा॰पत्र नाम शुद्धि अंतर्गत धारा 136 राज॰ लै॰रे॰ एक्ट स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। [signature] 8/12/25 उपखण्ड अधिकारी बांदीकुई	

Scanned with OKEN Scanner

नम्बर
अहकाम
हुक्म की
प्रति जारी हुई

न्यायालय उप जिला कलक्टर एवं उप जिला मजिस्ट्रेट बांदीकुई

प्रकरण संख्याः– 165/2025
प्रकरण दायर दिनांकः–05.12.2025
प्रकरण निर्णय दिनांकः–08.12.2025

उनवान

1. रामलाल पुत्र रामहेत जाति मीना निवासी ग्राम गुढलिया तहसील बांदीकुई जिला दौसा
.... प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार तहसील बांदीकुई
.... अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र नाम शुद्धि अन्तर्गत धारा 136 रा0 लै0 रे0 एक्ट

निर्णय दिनांक 08.12.2025

प्रार्थी द्वारा विरूद्ध अप्रार्थी प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल. आर. एक्ट इस आशय का पेश किया कि प्रार्थी का नाम ग्राम गुढलिया के खाता संख्या 37 खसरा नंबर 271, 333, 334, 335, 336 व खाता संख्या 23 के आराजी खसरा नंबर 229 लगायत 233, 268, 269, 270, 273, 275, 279, 283 लगायत 291, 339 लगायत 342, 355, 356 एवं ग्राम कोलवा तहसील बांदीकुई में खाता संख्या 14 के आराजी खसरा नंबर 31, 33, 39, 34, 34/1037, 35, 36 व 95 स्थित है जिसमें राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी में प्रार्थी का नाम रामजीलाल पुत्र रामहेत जाति मीना दर्ज हो गया है जबकि प्रार्थी का नाम सही व वास्तविक नाम रामलाल पुत्र रामहेत जाति मीना है। प्रार्थी के आधार कार्ड में रामलाल पुत्र रामहेत जाति मीना अंकित है। मुझ प्रार्थी के सभी दस्तावेज यथा पेंशन वार्षिक सत्यापन स्लिप, आधारकार्ड, ग्राम पंचायत गुढलिया द्वारा जारी प्रमाण पत्र आदि में मुझ प्रार्थी का नाम रामलाल पुत्र रामहेत जाति मीना अंकित है जो बिल्कुल सही है। अतः ग्राम गुढलिया तहसील बांदीकुई जिला दौसा के खाता संख्या 23, 37 एवं ग्राम कोलवा खाता संख्या नया 14 में मुझ प्रार्थी का दर्ज अशुद्ध नाम रामजीलाल पुत्र रामहेत जाति मीना के स्थान पर शुद्ध नाम रामलाल पुत्र रामहेत जाति मीना दर्ज किया जावें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रार्थना पत्र के साथ तहसीलदार (भू.अ.) बांदीकुई के पत्र कमांक/भू.अ./2025/10201 दिनांक 24.11.2025 की रिपोर्ट प्राप्त हुई। जिसके अनुसार ग्राम गुढलिया के खाता संख्या 23, 37 एवं ग्राम कोलवा के खाता संख्या 14 में प्रार्थी का नाम रामजीलाल पुत्र रामहेत जाति मीना दर्ज रिकॉर्ड है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज यथा पेंशन वार्षिक सत्यापन स्लिप, आधारकार्ड, ग्राम पंचायत गुढलिया द्वारा जारी प्रमाण पत्र आदि में प्रार्थी का सही नाम रामलाल पुत्र रामहेत जाति मीणा दर्ज है। प्रार्थी के

उपखण्ड अधिकारी
बांदीकुई

Scanned with OKEN Scanner

बयान दर्ज किये गये। हमने प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर प्रार्थी की बहस सुनी। अतः पत्रावली में संलग्न दस्तावेजात, प्राप्त जॉच रिपोर्ट के अवलोकन से यह प्रतीत होता है कि ग्राम गुढलिया तहसील बांदीकुई जिला दौसा की राजस्व जमाबंदी संवत् 2074–2077 खाता संख्या नया 37 एवं खाता संख्या नया 23 एवं ग्राम कोलवा तहसील बांदीकुई जिला दौसा के खाता संख्या नया 14 में प्रार्थी का नाम रामजीलाल पुत्र रामहेत सहवन से दर्ज कर दिया गया जबकि प्रार्थी का सही नाम रामलाल पुत्र रामहेत जाति मीना है। राजस्व जमाबंदी में उक्त त्रुटि सहवन से कारित होना प्रतीत होती है। उपरोक्त विवेचन से प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 136 राज0 लैण्ड रेवन्यु एक्ट स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थी बहस पर मनन करने एवं पत्रावली के अवलोकन के आधार पर प्रार्थी प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल. आर. एक्ट स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार बांदीकुई को आदेश दिये जाते है कि भूमि खेवट खतौनी संख्या 23, 37 ग्राम गुढलिया तहसील बांदीकुई जिला दौसा एवं खाता संख्या 14 ग्राम कोलवा तहसील बांदीकुई जिला दौसा की राजस्व रिकार्ड जमाबंदी में दर्ज नाम रामजीलाल पुत्र रामहेत के स्थान पर प्रार्थी का शुद्ध नाम रामलाल पुत्र रामहेत दर्ज किया जावें। तहसीलदार बॉदीकुई राजस्व रिकार्ड में विधिवत अमल दरामद करे। तहसीलदार बॉदीकुई को पालना हेतु तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसलशुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। मेरे द्वारा निर्णय आज दिनांक 08.12.2025 को सुनाया जाकर एवं टंकित करवाया जाकर हस्ताक्षरित किया गया।

08/12/25

(रामसिंह राजावत)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
बांदीकुई

उपखण्ड अधिकारी
बांदीकुई